

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1979/माघ 9, 1900

No. 31] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1979/MAGHA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(जमायका कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1979

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 17/79 :—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति-
प्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण विभाग 25 अगस्त, 1971 में
प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय
सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, विभाग
15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 5902 की मध (ii) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रवायगी की दर
(ii) एल्युमीनियम से बने		
(क) साइज सं० 3		42 रु० (केवल ब्यालीस रुपये) प्रति 1000 मीटर
(ख) साइज सं० 5 अथवा उससे बड़े		68 रु० (केवल षष्ठसठ रुपये) प्रति 1000 मीटर ।

महेश कुमार, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

New Delhi, the 29th January, 1979

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-17/79.--Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India -Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

For item (ii) of Sub-Serial No. 5902 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
(ii)	Made of aluminium	
(a)	Size No. 3	Rs. 42 (Rupees forty-two only) per 1000 Metres.
(b)	Size No. 5 or bigger than that	Rs. 68 (Rupees sixty-eight only) per 1000 Metres.

MAHESH KUMAR, Under Secy.